Add New cases

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 395–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–12–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 51/05–06 निगरानी.

जशरथ सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह
निवासी –ग्राम ककरूआ तहसील
ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.) ----- आवेदक

विरूद्ध

1– माखनसिंह पुत्र मानसिंह
2– रामप्रसाद पुत्र श्री ओंकार सिंह
(मृत) द्वारा उत्तराधिकारी :–
1– राजेश पुत्र रामप्रसाद
2–सरजूबाई वेवा रामप्रसाद
3– बैजनाथ पुत्र रामप्रसाद
4– बृजेश पुत्र रामप्रसाद
3– भारतसिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह,
निवासीगण –ग्रम ककरूआ तहसील
ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.) ----- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वी0एस0 धाकड़ ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 01-06-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 51/निग0/2005–07 में पारित आदेश दिनांक 24–12–10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में बटवारे हेतु आवेदन पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 18–1–2002 को

बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की गई जो अवधि बाह्य मानते हुए उन्होंने निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश की जो आदेश दिनांक 24.10.05 द्वारा स्वीकार की गई और प्रकरण नायब तहसीलदार को गुणदोष पर उभयपक्ष की सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

4/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किये हैं । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि जब सूचनापत्र लेने से इंकार किया गया तब चस्पा से तामील कराई गई । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकिया का पालन नहीं किया गया तथा गलत निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित किया है ।

आवेदक अपने भू–भाग अंश पर बटवारा कराए जाने का अधिकारी है और उसने केवल अपने ही भाग का बटवारा हेतु आवेदन दिया था अन्य किसी के रकबा तथा कब्जे के बटवारे नहीं चाहा था । अतः विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित था जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की थी । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम प्रकृति का था जिसकी अपील करना चाहिए थी निगरानी प्रचलन योग्य नहीं थी । अंत में यह कहा गया कि अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को ही आधार बनाया गया है उन्होंने अपने आदेश में प्रकरण की पत्रावली तथा तथ्यों एवं साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे से संबंधित है जिसमें अपर कलेक्टर ने प्रकरण को तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है । निगरानी में अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा है । उन्होंने यह व्यक्त किया है कि प्रकरण में अनावेदकों के नोटिस लेने से इंकार करने का उल्लेख है किंतु विचारण न्यायालय ने यह आदेश दिया

था कि नोटिस चस्पे से तामील किया जाये । उन्होंने यह भी पाया है कि प्रकरण में फर्द बटवारे का प्रकाशन नहीं किया गया है और ना ही उस पर आपत्ति आमंत्रित की गई है तथा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर